केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2017/141 दिनांक: 21.04.2017

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2017/00135
CICOM/A/2017/00446

अपीलकर्ता : श्री अमित कुमार श्रीवास्तव,
4/21, विशेष खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।

निर्णय की तारीख: 21.04.2017

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	11.02.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	सूचना प्रदान नहीं की गई
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	---
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	06.04.2017
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	123782/11.04.2017
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	155/13.04.2017

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से पांच बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी थी । अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन के माध्यम से आरोप लगाया है कि उन्हें वांछित सूचना प्रदान नहीं की गई है ।

2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता का उक्त आर.टी.आई. आवेदन जो आयोग में दिनांक 17.02.2017 को डायराइज हुआ तथा आयोग के डाक अनुभाग द्वारा भूलवश किसी अन्य अनुभाग को अग्रसारित हो जाने के कारण आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में दिनांक 11.04.2017 को प्राप्त हो सका है, जिसे आर.टी.आई. प्रकोष्ठ द्वारा संचिका सं. CICOM/A/2017/00446 के तहत पंजीकृत कर लिया गया है । अतः श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ को निर्देश दिया जाता है कि अपीलकर्ता के उक्त आर.टी.आई. आवेदन से संबंधित सूचना शीघ्र उपलब्ध करवाई जाए ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

O/C

प्रतिलिपि :
1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

C.I.C. / के. सू. आ.
RECEIVED
24 APR 2017
Initials: